पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-52/2024 दिनांक- 16.02.2024

प्रेस- नोट

थाना अतरौलिया क्षेत्रान्तर्गत बरामद अज्ञात अधजला शव व आरोपी का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 02.02.2024 को वादी मुकदमा शहाबुद्दीन पुत्र शेखावत अली निवासी मदियापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ (चौकीदार ग्राम मदियापार) ने थाने पर आकर लिखित सूचना दिया कि ग्राम मदियापार में सड़क के किनारे खेत में सरपत से ढका हुआ अज्ञात पुरुष का शव मिला है जो अर्धजली अवस्था में है। इस सूचना पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 34/24 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष सविन्द्र राय द्वारा विवेचना की जा रही है।

➡विवेचना के दौरान उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अज्ञात शव की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के पिता नन्दू राजभर के द्वारा अपने पुत्र जयनरायन पुत्र नन्दू राजभर निवासी कबीरुद्दीनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के रूप में की गयी।

➡मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त 1.चन्द्रभान यादव पुत्र अच्छेलाल यादव सा0 इब्राहिमपुर थाना अतरौलिया आजमगढ 2.पारसनाथ पुत्र स्व0 नंदलाल सा0 डोमनपुर थाना अतरौलिया आजमगढ का नाम प्रकाश में आया जो फरार चल रहें थे।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 16.02.2024 को थानाध्यक्ष अतरौलिया सविन्द्र राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.चन्द्रभान यादव पुत्र अच्छेलाल यादव सा0 इब्राहिमपुर थाना अतरौलिया आजमगढ 2.पारसनाथ पुत्र स्व0 नंदलाल सा0 डोमनपुर थाना अतरौलिया आजमगढ को लोहरा टोल प्लाजा के पास से प्रातः समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मृतक व हम दोनो एक साथ मजदुरी का काम करते थे, दिनांक-01.02.2024 को हम तीनों व्यक्ति काम की तलाश में थे उस दिन काम नहीं मिला तो हम लोग शराब व गांजा लेकर ग्राम मदियापार में एक खेत में बैठकर नशा किये फिर चोरी करने के लिये तार काटने की बात पर हम लोगो में झगड़ा होने लगा, हम लोग नशे में थे, (मृतक) जयनरायन ने हम दोनो को गाली देने लगा तो हम दोनो ने गुस्से में आकर जयनरायन को मार पीटकर खेत में लगे पानी में उसके मुंह को डूबोकर दबा दिये जिससे उसकी मौत हो गयी। उसकी पहचान न हो पाये इसलिये हम दोनो ने जयनरायन को जला दिया और वहां से भाग गयें।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 34/24 धारा 302/201 भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. चन्द्रभान यादव पुत्र अच्छेलाल यादव निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. पारसनाथ ठठेरा पुत्र नन्दलाल ठठेरा निवासी ग्राम डोमनपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त पारसनाथ ठठेरा का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 232/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ़

अभियुक्त चन्द्रभान यादव का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 119/2022 धारा 354/506 भादवि व धारा3(1)(w), 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष सविन्द्र राय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 अनिमेष पाल थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 अजीत यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. का0 जयराय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़